

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक
चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में
पी.पी.पी. मोड मे मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन
हेतु निविदा वर्ष 2015-16

निविदा फार्म का मूल्य रु. 5000.00
निविदा प्रपत्र क्रमांक.....
रसीद क्र.....
दिनांक.....

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा प्रपत्र

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड में मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन हेतु निविदा वर्ष 2015-16 प्रारूप एवं भारते।

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय
अमानत राशि रु.
निविदा प्रपत्र भुल्क
डी

21.10.2015 सायं 3 बजे तक
31.10.2015 सायं 3 बजे तक
2.11.2015 दोपहर 12:30 बजे
रु.100000.00 (एक लाख) डी.डी
:- **5000-00** (पांच हजार)डी.

निविदा फार्म प्राप्त करने एवं जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदा फार्म संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के कार्यालय से रु. 5000.00 मात्र का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट.जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो निर्धारित तिथि एवं समयसीमा के अंदर जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा फार्म श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट www.ssmcrewa.com ls भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। जो निविदाकार वेबसाइट के माध्यम से निविदा फार्म डाउनलोड करेंगे उन्हें निविदा फार्म की कीमत रु. 5000.00 मात्र का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट.जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो निविदा आवेदन फार्म जमा करते समय पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा तथा यह लिफाफा में बंद नहीं होगा। निविदा फार्म की कीमत का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व का होना चाहिये अन्यथा आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा फार्म की राशि वापस देय नहीं होगी।
2. निविदा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
3. निविदा के साथ रु. 100000.00 (एक लाख) मात्र की सुरक्षा राशि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। सुरक्षा राशि डी.डी. के अलावा मान्य नहीं की जावेगी। कृपया प्रत्येक लिफाफे को पूर्ण रूप से चपड़े वाली सील से ही सील कर बंद कर जमा करें। सील बंद का अर्थ सील चपड़ा तथा लिफाफे के कोनों , कागज के जोड़ों पर हस्ताक्षर के उपर टेप चिपका हुआ होना ही मान्य किया जावेगा।

4. अपूर्ण निविदा फार्म को मान्य नहीं किया जावेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इस बाबत किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में जिसमें ए, लिफाफे में मांगे गये समस्त दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं लिफाफा बी में प्राइस बिड रखकर सील बंद किया जावे, इन दोनों सीलबंद लिफाफों को लिफाफा सी (आउटर लिफाफा) के अंदर रखकर सीलबंद किया जावे। लिफाफा ए में रखे सभी दस्तावेज पृष्ठाकित होना चाहियें तथा संलग्न सूची के साथ फ्लैग लगे हुये होना चाहियें।
6. संजय गांधी चिकित्सालय में मैकेनिकलाईज लाण्ड्री जिसकी क्षमता 150 कि.ग्रा. कपड़ा प्रति घंटा हो उसकी स्थापना हेतु न्यूनतम 05 वर्ष अवधि का अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने पर कार्य अवधि आगामी 05 वर्षों हेतु 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
7. चिकित्सालय में पूर्व स्थापित एवं कार्यरत लाण्ड्री मशीनों 50 किलो ग्राम कपड़ों की क्षमता की 02 धुलाई मशीन, 25 किलो ग्राम कपड़ों की क्षमता की 02 धुलाई मशीनें, मशीनों से संलग्न 02 हाइड्रो एक्सट्रेक्टर, 01 प्रेस मशीन जिसमें कम्प्रेसर की आवश्यकता है तथा 02 ड्रायर मशीन 25 के.जी. क्षमता प्रत्येक को निविदाकार को अपने कार्य में सम्मिलित करना होगा तथा निविदा दरों को देते समय निविदाकार को चिकित्सालय की मशीनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुये दरे प्रस्तावित करनी होगी।
8. निविदा दाता का प्रस्तावित प्लांट, मशीनरी एवं उसकी सूची के साथ उनका अनुमानित मूल्य एवं विस्तृत फ्लोर प्लान देना अनिवार्य है।
9. निविदा दाता के द्वारा स्थापित किए जा रहे प्लांट की क्षमता इस प्रकार होनी चाहिए कि आपाताकालीन स्थिति में चार घण्टे में वस्त्रों की लाण्ड्री उपलब्ध कराई जा सके।
10. निविदा दाता को अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्लांट स्थापित करने के लिए स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया। प्लांट के संचालन के लिए सफल निविदाकार को लगाने वाली बिजली हेतु स्वयं का सब मीटर लो.निर्माण विभाग की निगरानी में लगवाया जावेगा तथा लो.नि. विभाग द्वारा सबमीटर के आधार पर की गई बिजली खपत का सत्यापन अनुसार किराया स्वशासी निधि में जमा कराना होगा। पानी के लिये भी सब मीटर लगवाना होगा जिसकी खपत के आधार पर किराया स्वशासी निधि में जमा कराना होगा।
11. लाण्ड्री के संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति निविदाकार द्वारा स्वयं करनी होगी, जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
12. चिकित्सालय में वर्तमान में लगभग 1141 पलंग है जिनकी न्यूनतम ओक्यूपेन्सी 70 से 80 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी अधिक हो के आधार पर प्रति पलंग प्रयोग में आने वाले वस्त्र (एक चादर, एक पिलो कवर) एवं ऑपरेशन थियेटर एवं अन्य में प्रयोग में आने वाले वस्त्रों का वास्तविक आधार पर भुगतान किया जावेगा।
13. यदि प्लांट एवं मशीनरी में कोई तकनीकी खराबी आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं इस पर आने वाले व्यय का भार निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।
14. निविदादाता प्लांट के रखरखाव एवं मैन्टेनेन्स और उसके सफल संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा एवं उसकी चैकिंग, मैन्टेन्स एवं अन्य प्रकार के रख रखाव या किसी खराबी के कारण कोई पार्ट्स लगाना पड़ता है तो सभी दशाओं में भुगतान निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।

15. निविदा दाता द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएं उसमें सभी टैक्स सम्मिलित होना आवश्यक है।
16. निविदा दाता को अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे स्थान के अलावा कोई भी अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
17. प्लांट, मशीनरी एवं भवन के साथ कपड़ों का बीमा निविदाकार द्वारा स्वयं कराना होगा।
18. निविदा स्वीकृत दिनांक से निर्माण कार्य से लेकर समस्त आवश्यक मशीनों की स्थापना कर लाण्ड्री कार्य प्रारंभ करने की अधिकतम अवधि तीन माह होगी।
19. चिकित्सालय के अलावा अन्य किसी भी संस्था के कपड़े धोते पाये जाने पर उस पर कार्यवाही करते हुए कपड़े जप्त कर अर्थदण्ड लगाया जावेगा। इस कार्य हेतु संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा टीम गठित की जावेगी।
20. लाण्ड्री कार्य हेतु आवश्यक ओवरहेड टैंक, पानी हेतु इनलेट आउटलेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं निविदादाता को अपने व्यय पर करानी होगी।
21. सफल निविदाकार को लाण्ड्री कार्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. निविदादाता को फुलटाईम टेलर नियुक्त करना होगा जो स्वयं के खर्च पर रखना होगा, जिसका कार्य चिकित्सालय के फटे कपड़ों की सिलाई करना होगा।
23. निविदादाता को प्लांट के संचालन स्टाफ आदि की नियुक्ति स्वयं करनी होगी एवं उन पर लागू श्रम नियमों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का कटोत्रा किया जाना होगा। कार्य में बाल श्रामिक नियमों का पालन करना होगा।
24. प्लांट मशीनरी एवं भवन के साथ कार्यरत कर्मचारियों का बीमा निविदादाता को अपने स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा। बीमा संबंधी प्रपत्र कार्य आरंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
25. वस्त्रों की लाण्ड्री के दौरान उसमें क्षति होने की स्थिति में उस वस्त्र की वास्तविक क्रय कीमत अनुसार ही निविदादाता से क्षतिपूर्ति की जावेगी एवं देर से वस्त्र देने पर प्रति वस्त्र रुपये 01/- प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा।
26. प्लांट में कभी भी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में तथा चिकित्सालय के वस्त्रों को नुकसान होने की स्थिति में उसकी वास्तविक कीमत की भरपाई निविदादाता द्वारा की जावेगी।
27. निविदाकार द्वारा रखे गये कर्मचारियों की सम्पूर्ण जबाबदारी निविदाकार की होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी और न ही इसके लिये निविदाकार मांग करेगा।
28. प्लांट में निर्धारित अग्नि शमन यंत्रों की स्थापना निविदादाता को अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
29. ठेके की अवधि समाप्त उपरांत निविदादाता को अपना संपूर्ण सेटअप हटाने हेतु अधिकतम 01 माह का समय दिया जावेगा। ठेके की समाप्ति उपरांत निविदादाता को परिसर रिक्त कर स्वच्छ हालत में परिसर तथा चिकित्सालय की पूर्व से स्थापित मशीनें कार्यरत स्थिति में अस्पताल प्रबंधन को सौंपना होगा।
30. चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध संजय गांधी / गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अंतर्गत विभिन्न विभागों/वार्डों में उपयोग होने वाले वस्त्रों की लाण्ड्रीमय इस्त्री अनिवार्य रूप से करनी होगी।
31. स्वीकृत निविदादाता को निविदा स्वीकृति सूचना मिलने के पश्चात् अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनुबंध निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित करना होगा।

32. निविदादाता अनुबंध अवधि के बीच में ही कार्य छोड़कर चला जाता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, भविष्य में उक्त फर्म को इस चिकित्सालय के लिये ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा ।
33. लाण्ड्रीकार्य के देयकों का भुगतान मासिक आधार पर सत्यापन उपरांत किया जावेगा। बीच में निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगा।
34. निविदादाता को प्रतिदिन सुबह 09.30 बजे तक अनिवार्य रूप से वस्त्र इंचार्ज सिस्टर से प्राप्त करना होगा। वस्त्रों की लाउण्ड्री पश्चात् अगले दिन सुबह 9.30 बजे तक उन वस्त्रों को डिलीवरी देना अनिवार्य होगा।
35. धुलाई के दौरान कोई वस्त्र खो जाता है अथवा कट फट जाता है तो नवीन वस्त्र के मूल्य की राशि के बराबर का कटौती निविदादाता के मासिक भुगतान में से किया जावेगा।
36. धुलाई के पश्चात् वस्त्रों की धुलाई तथा प्रेस कर पेपर पैक में प्रदाय करने की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जावेगा। यदि धुलाई कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त धुले वस्त्रों का भुगतान नहीं किया जावेगा, जिसे पुनः धुलाई कर लौटाना हो, जिस हेतु किसी भी प्रकार का पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा एवं निविदादाता पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा।
37. अस्पताल में धुलाई हेतु वस्त्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची नाम व उनके पते, फोटो एवं मोबाईल नम्बर सहित सत्यापित कराकर निविदादाता को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त व्यक्तियों का नाम पुलिस विभाग की सूची में न हो इस आशय का शपथ पत्र अनुबंध के साथ लगाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी का ड्रेस कोड होना अनिवार्य होगा।
38. निविदादाता वस्त्रों की गुणवत्तापूर्ण धुलाई करने में यदि असफल होता है तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार (एल-2) को दिया जावेगा। ठेके संधारण में यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके की अंतर राशि पूर्व निविदादाता (स्वीकृत निविदादाता) से वसूल की जावेगी। साथ ही जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
39. स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि ठेका संचालन अवधि तक अमानत राशि के रूप में जमा रहेगी जो कि संचालन अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति उपरांत बिना ब्याज के वापिस की जावेगी। अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।
40. लाउण्ड्री कार्य का देयक प्रत्येक वार्ड/ओ.टी. अनुसार पृथक-पृथक तैयार कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हें संबंधित वार्ड/ओ.टी. इंचार्ज सिस्टर से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
41. निविदादाता निविदा शर्तों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका निरस्त किया जाकर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
42. किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का होगा जिसे निविदाकार को मान्य होगा।
43. यदि भविष्य में शासन द्वारा मैकेनाइज्ड लाण्ड्री हेतु स्टाफ स्वीकृत किया जाता है तो निविदाकार को 03 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।
44. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।

दंड/अनुबंध का निरस्तीकरण-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के पास बिना कोई कारण बताए एक माह के नोटिस देने पर ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. आर्थिक दंड बार-बार किए जाने के पश्चात् भी कार्य में सुधार नहीं लाने पर निविदाकर्ता का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा ।

आवेदन प्रस्तुत करना:-Tender फार्म अहस्तांतरित है (Non Transferable)

1. प्रत्येक लिफाफे पर पी.पी.पी. मॉडल लाण्ड्री की स्थापना हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है।
2. लिफाफों पर क्रमशः ए, बी, व सी बड़े-बड़े साफ अक्षरों में अंकित किया जावे। उपरोक्त लिफाफा ए, बी को बड़े लिफाफा सी जो आउटर लिफाफा होगा में रख कर सील चपड़ा के साथ बंद करें।
3. **लिफाफे ए में निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेज रखें।**
 1. मूल निविदा प्रपत्र (जो कार्यालय द्वारा बेचा गया था) के प्रत्येक पन्ने पर संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संस्था की सील लगावें।
 2. फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) (इसमें व्यवसाय कॉलम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
 3. वित्तीय वर्ष 2012-13 ,2013-14 एवं 2014-15 की आयकर रिटर्न जमा करने एवं स्थायी लेखा संख्या ,चाछ छवणद्ध की प्रति ।
 4. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति ।
 5. फर्म की वार्षिक टर्न ओवर रुपये 20 लाख संबंधी अभिलेख पिछले दो वर्षों का जिसे सी ए द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।
 6. 100 रुपये राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः।
 7. निविदाकार को केन्द्रीय अथवा राज्य शासन/ शासकीय उपक्रम अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संस्थानों में 1,00,000/- (रु एक लाख मात्र) प्रतिमाह निविदा संबंधी कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।

III- लिफाफा बी

1. दरें बिना कोई कांट-छांट एवं ओवरराईटिंग के प्रस्तुत करें, संलग्न दर सूची फार्म में देना आवश्यक है। सरल क्रमांक 01 से 19 तक दी गई दरों के कुल योग के औसत न्यूनतम दर पर निविदा स्वीकृत की जा सकेगी ।
2. निविदाकार की तकनीकी बिड परीक्षण रिपोर्ट निविदा शर्तों के अनुरूप पाये जाने पर ही प्राइस बिड खोली जावेगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों कि शर्तानुसार प्रस्तुत करें।

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय
रीवा

विषय:—पी.पी.पी. मोड मे मैकेनाइज्ड लाण्डी की स्थापना एवं संचालन हेतु निविदा

संदर्भ:—स्थानीय समाचार पत्र दैनिक के दिनांक
के संस्करण में प्रकाशित आपका विज्ञापन क्रमांक दिनांक

श्रीमान,

विषयांतर्गत हम/मैं पी.पी.पी. मोड मे मैकेनाइज्ड लाण्डी की स्थापना एवं संचालन हेतु निविदा 05 वर्ष हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपना निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। मुझे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

1. निविदाकर्ता का नाम
 2. संस्था / कम्पनी का नाम व सील
 3. संस्था / कम्पनी का नाम व पूर्ण पता
- मोबाइल नं..... कार्यालय फोन नं.निवास फोन नं.
फैक्स नं..... ई-मेल

हस्ताक्षर, निविदाकर्ता

चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी समृति
चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड पर मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन हेतु
निविदा वर्ष 2015-16

दर-सूची
(लिफाफा 'बी' में रखे)

क्रमांक	वस्त्र का नाम	प्रति नग दर अंकों में	प्रति नग दर शब्दों में
1	बेडशीट (चादर)		
2	ओटी मास्क		
3	ओ.टी. गाऊन		
4	ओ.टी.केप		
5	टॉवेल		
6	पर्दा		
7	तकिया कवर		
8	ड्रा शीट		
9	एप्रिन		
10	ओ टी शर्ट		
11	ट्राउजर्स		
12	साड़ी		
13	कंबल लाउण्ड्री		
14	कंबल ड्रायविलनिंग		
15	लैगिंग्स		
16	हैंड टॉवेल		
17	कुर्ता		
18	पायजामा		
19.	टेबल कवर		
	औसत दर		

नोट:-

- सर्विस टैक्स की दर पृथक से अंकित करें तथा अन्य कर व शुल्क सहित दरें प्रस्तुत करें।
- सरल क्रमांक 01 से 19 तक दी गई दरों के कुल योग के औसत दर पर जिसकी दरें न्यूनतम होगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार होंगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर, निविदाकर्ता

स्थान:-

निविदाकर्ता का नाम

पता :-.....

संस्था की सील :-.....

100 रू0 (एक सौ रू.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोशणा पत्र (शपथ पत्र)

1. मै/हम भारत के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नही किया गया है हमारी संस्था को किसी भी भासकीय/अर्द्ध भासकीय/स्व भासी संस्था द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. भासन के किसी विभाग द्वारा वहिष्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की भातों के अलावा अन्य कोई भातें प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई भातें प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नही है।
8. मेरे/ हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नही है।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नही है। ना ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. हमारे/मेरे द्वारा सप्लाई की गई मांग अनुसार गुणवता की जिम्मेवारी मेरी होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....
.....व पता.....
2. गवाह का नाम.....
.....व पता

निविदाकार के हस्ताक्षर

- संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम...
पता.....
- संस्था का नाम एवं पता.....
.....

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)
लिफाफा 'ए'

1. राशि रुपये
2. डी.डी. क्र. /दिनांक
3. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता
-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पूर्ण पता

संस्था की सील

प्रपत्रों का विवरण

लिफाफा 'बी' चेक लिस्ट (लिफाफा बी में रखने हेतु) (संलग्न दस्तावेज)

क्र.	निविदा के साथ अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे एवं पृष्ठ क्र. दर्शाया जावे /फलैग लगाया जावे	क्रय समिति द्वारा किया जाये।
1.	मूल निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः।	हां/नही	हां/नही
2.	जमानत राशि के रूप में 1.00 लाख की डी.डी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय हो।		
3.	फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन (छायाप्रति) (इसमें व्यवसाय कॉलम में निविदाकृत कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।		
4.	वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की आयकर रिटर्न एवं स्थायी लेखा संख्या, चालू छवण्ड की प्रति		
5.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।		
6.	फर्म की वार्षिक टर्न ओवर रुपये 20 लाख संबंधी अभिलेख पिछले दो वर्षों का जिसे सी ए द्वारा प्रमाणित किया गया हो।		
7.	100 रुपये राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः।		
8.	निविदाकार को केन्द्रीय अथवा राज्य शासन/शासकीय उपक्रम अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थानों में 1,00,000/- (रु एक लाख मात्र) प्रतिमाह निविदा संबंधी कार्य करने का विगत 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
सील